पाठ 4

न्यायपालिका-कानून का पालन कराना

कोर्ट कचहरी और न्याय

आपने अपने आसपास कई कोर्ट-कचहरी के मामलों के बारे में सुना होगा। ऐसे एकाध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन-कौन होते हैं और वे क्या-क्या करते हैं, चर्चा करिए। इस पाठ के सारे उप शीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है ? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं ?

कल्लूराम और परसूराम का झगड़ा

कल्लूराम और परसूराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परसूराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के ख्ेात में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परसू ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी।

जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खम्भे के आगे तक चलता था। लेकिन यह क्या? अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परसू ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काछी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों-रात मेड़ खोदकर वापस खिसका दी।

सुबह जब परसू को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गाँव का चौकीदार भी वहाँ आ गया। लोगों ने बीच-बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर कोटवार ले गये। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जाँच करवाई और पलस्तर चढ़वाया, फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए।

थाने में रपट

थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। दरोगा ने कोरे कागज़ पर रपट लिखी। यह 'मौके की पहली रपट' (एफ.आई.आर. या फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा- "आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, और एक प्रति हमें भी दीजिए।" दरोगा ने कहा- "जब थानेदार साहब आयेंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं।" तो रेवा, काशी और कल्लू कोटवार थाने में रुके रहे। थोड़ी देर बाद थानेदार आया। उसने रेवा से रजिस्टर में रपट दर्ज करवाई। कल्लू जाने को तैयार हुआ, पर रेवा ने उसे रोककर थानेदार से रपट की एक प्रति माँगी। रेवा को पता था कि रपट की प्रति, रपट लिखवाने वाले को मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गाँव के लिए निकले।

एफ.आई.आर.

थाने में एफ.आई.आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा-लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफ.आई.आर. दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ.आई.आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी एफ.आई.आर. में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ.आई.आर. की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई

थानेदार एफ.आई.आर. नहीं दर्ज करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है-डाक से भी रपट भेजी जा सकती है।

जुर्म की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थानेदार ने दरोगा से छान-बीन करने को कहा। उसी दिन दोपहर को दरोगा कल्लू के गाँव पहुँचा। पहले तो उसने कल्लू की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने कल्लू के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने सुबह की मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे "गंभीर चोट पहुँचाने" के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ हरदा थाने ले गया। वहाँ उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। थानेदार ने बहुत कहा कि जुर्म कबूल कर लो पर उसने साफ इनकार कर दिया।

गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस ज़ुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यह उसे नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि

वह यह पूछे और ज़ुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है।

पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई अपराध न कर सके। यानी गिरफ्तारी सज़ा नहीं है।

पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है यदि थाने में कोई अपना ज़ुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जायेगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाये। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है।

एफ.आई.आर. दजऱ् करने वाले को उसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए- कक्षा में चर्चा करिए।

ज़मानत

थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाये। थानेदार ने परसू को बताया, "तुम्हें किसी की ज़मानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन-जायदाद है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाये तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद ज़ब्त कर ली जायेगी।"

परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है। उसने अपने लिए एक बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि "कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।" अन्ततः परसू जमा़नत पर छूट गया पर सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है।

पेशी दर पेशी

कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब एक साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपना फीस लेता रहा। आने-जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः एक साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को चार साल की कैद होगी।

चर्चा कीजिए-किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों जरूरी है ?

परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया, "सेशन्स कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने ज़िले के सेशन्स कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशन्स जज ने परसू की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरन्त जेल नहीं जाना पड़ा।

फिर सेशन्स कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को, बाकी पेशी तो वकील ने सँभाली। दो साल बाद सेशन्स जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम कर दी।

परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, "क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है ?" वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है। वहाँ अपील कर सकते है। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशन्स जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा।

दीवानी और फौजदारी मामले

परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा "इतने साल मैं जेल में रहूँगा तो मेरी खेती का क्या होगा ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूँ और बात निपट जाए ?" वकील ने बताया ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी। अतः यह एक फौजदारी मामला है, अर्थात् ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना- ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामलों में जेल की सज़ा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं।
"दीवानी मामले क्या होते हैं ?" परसू ने पूछा। वकील ने कहा, "जब भी कोई जमीन-जायदाद के झगड़े या मज़दूर-मालिक के बीच मज़दूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन-देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज़ कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इनमें कैद की सज़ा तो नहीं होती पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी सम्पत्ति पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है, उसे उस नुकसान का मुआवज़ा दिया जा सकता है या सम्पत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी। इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा।"
चर्चा कीजिए- ऽ परसू ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फौजदारी ?

ऽ परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी ?

परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई, पर पूरे भारत में एक सबसे ऊँचा न्यायालय भी है। उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है।

न्यायपालिका की संरचना

भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय होता है।

सर्वोच्च न्यायालय

यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मानने होते हैं।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

ऽ भारत का नागरिक हो।

ऽ वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो।

या

उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक वकालत कर चुका हो।

या

भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो।

कार्यकाल

प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) के अधिकार

संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मुकदमों की प्रारम्भिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं यहाँ प्रारम्भ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय है।

भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

राष्ट्रपति द्वारा माँगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है।

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्य

मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना।

जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना।

अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना।

जिला न्यायालय

जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

लोक अदालत

हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमांे के निपटारे में देर होती है

तथा पैरवी मंे धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय-समय पर हर क्षेत्र/जिले स्तर पर लोक अदालतें लगायी जाती हैं।

लोक अदालतों ने शान्तिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पायी है। आइए, हम जानें कि किन-किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं - स वाहन दुर्घटना मुकदमा स पेंशन संबंधी मुकदमे

स समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा स बिजली, गृहकर, गृहऋण संबंधी मुकदमा

स उद्योगों और बैंको से संबंधित मुकदमे स भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे

स विवाह/पारिवारिक मुकदमे स उपभोक्ता संबंधी मुकदमे

परिवार न्यायालय

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है।

दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है

अर्पिता के भाई महेन्द्र की हाल ही में शादी हुई है। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हंें फ्रिज, टी0वी0, ए0सी0 कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा-पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुःख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टी0वी0 पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और सुसराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया।

अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं ? जबकि वो शिक्षित हैं, नियम कानून के बारे में जानती हैं, फिर भी वो चुप क्यों हैं ?

आपके अुनसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है ? सोचकर बताइए।

दहेज एक गलत प्रथा है। यह क्यों गलत है ? सोचिए और लिखिए।

आप भी जानिए:

दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं।

दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो, मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है।

उपभोक्ता अदालत

जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेर-फेर किया गया हो तो इससे उपभोक्ता (ग्राहक) के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कमी कभी-कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक/उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवज़े का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है।

जनहित याचिका

परसू की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया। लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत समय भी लगता है जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका ;च्स्द्धकी व्यवस्था लागू की। इसके अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति (व्यक्तियों के

समूह) के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है।

जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारम्भ करने का श्रेय जस्टिस पी0एन0भगवती को जाता है। इसके अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्त्व दिया गया है।

निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति

महिला तथा बच्चे

अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य

कारागार में रहने वाले व्यक्ति

बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग

दिव्यांगजन

मानव दुव्र्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो।

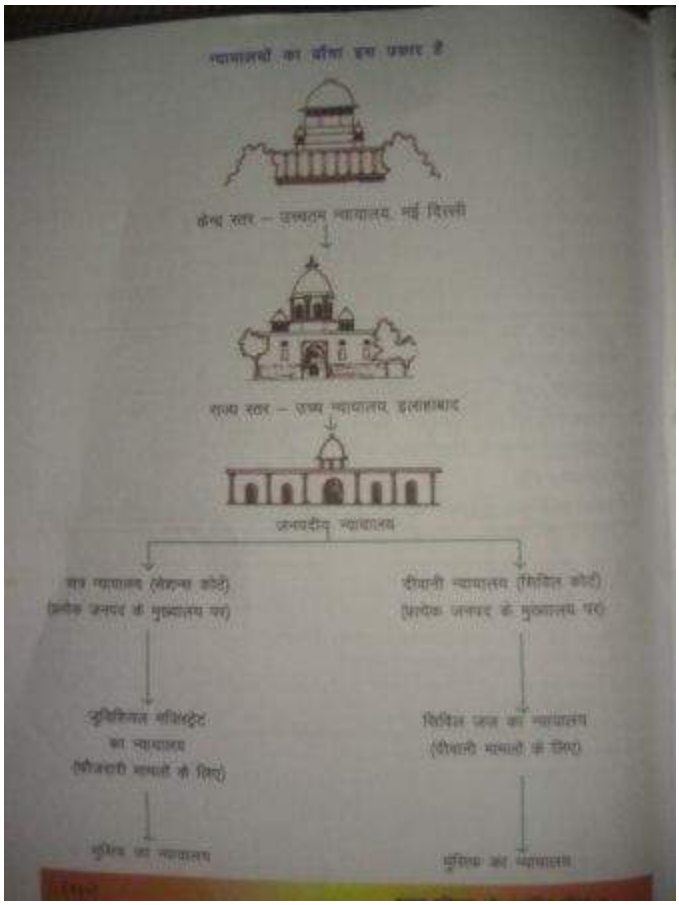

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) एफ.आई.आर. कहाँ और कब दर्ज़ किया जाता है ?

(ख) गिरफ्तारी और सज़ा में क्या अन्तर है ?

(ग) ज़मानत किस प्रकार दी जाती है ?

(घ) फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अन्तर है ?

(ङ) हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

(च) न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए।

(छ) लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं ?

(ज) उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं ?

(झ) परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई ?

(´) जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ..... वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है।

(ख) जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के ..... द्वारा की जाती है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय .....को संरक्षण दिया जाता है।

(घ) मारपीट के मामले ..... मुकदमे कहलाते हैं।

3. सही मिलान करिए-

जमीन-जायदाद के मामले	सेशन्स कोर्ट
जनपद स्तरीय न्यायपालिका	उच्च न्यायालय
राज्य स्तरीय न्यायपालिका	उच्चतम न्यायालय
केन्द्र स्तरीय न्यायपालिका	दीवानी मुकदमे

प्रोजेक्ट वर्क

दुकानदार से खरीदे गये सामान में गुणवत्ता की कमी होने पर इसकी शिकायत किस अदालत में करंेगे। चर्चा करें।

समूह गतिविधि- अपने गुरुजी के साथ इस पाठ के आधार पर मुकदमे का एक नाटक करिए। कल्लू, परसू, मजिस्ट्रेट और गवाह मुख्य पात्र होंगे। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़कर सभी पात्र अपने-अपने संवाद याद कर लें। परसू के वकील और सरकारी वकील को सवाल जवाब ठीक से तैयार करने पड़ेंगे। नाटक में मजिस्ट्रेट को अपना फैसला भी सुनाना होगा।

शब्दावली

ऽ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न : देश के आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता।

ऽ पंथ निरपेक्ष : सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार एवं संरक्षण करना।

ऽ लोकतंत्रात्मक : जनता के लिए, जनता द्वारा तथा जनता की सरकार।

ऽ गणराज्य : भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा।

ऽ समाजवाद : समानता लाना।

ऽ अभिव्यक्ति : अपने मन के उठे विचारों को दूसरों के सामने बिना डर या बेहिचक कहना।

ऽ आंतरिक एवं विदेशी नीतियाँ : देश के भीतर तथा बाहर शासन चलाने के लिए बनाए गए नियम।

ऽ मौलिक अधिकार : वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं।

ऽ मौलिक कर्तव्य : वे कर्तव्य हैं, जिसका पालन राष्ट्रहित में प्रत्येक नागरिक को जीवन पर्यन्त करना होता है।

ऽ नीति निदेशक तत्व ः नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कानून निर्माण करते समय तथा प्रशासन में इन सिद्धान्तों का पालन करें।

ऽ सांस्कृतिक विरासत ः पूर्वजों द्वारा स्थापित भवन, साहित्य, सभ्यता, कला तथा धार्मिक मान्यताओं से संबंधित विचार तथा वस्तुएँ।

छाँट कर लिखिए -

भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम

.....
...

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम

.....
...

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम

.....

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम

.....
...

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम

.....

भारत में कुल राज्यों की संख्या

.....
...

उत्तर प्रदश्ेा में कुल जनपदों की संख्या

.....

डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, श्रीमती इन्दिरा गांधी,

उनतीस, श्री रामनाथ कोविंद, पचहत्तर, पं0 जवाहर लाल नेहरू।